

राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड:

- यह पशु कल्याण के कानूनों और उनके प्रचार के लिए एक **परामर्शी और वैधानिक निकाय** है।
- इसे **1962** में **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4** के अनुसार स्थापित किया गया था।
- यह दुनिया में अपनी तरह का पहला निकाय है, जिसका मुख्यालय **बल्लभगढ़** (हरयाणा) में है और श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंदले द्वारा इसका नेतृत्व अथवा मार्गदर्शन किया गया है।
- बोर्ड में 3 वर्ष की अवधि के लिए 28 सदस्य शामिल हैं।
- इसके कुछ कार्य हैं:
 - पशुओं की क्रूरता संबंधी संशोधन पर केंद्र सरकार को परामर्श देना।
 - पशुओं पर बोझ को कम करने के लिए वाहन के डिजाइन में सुधार पर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार को परामर्श देना।
 - सभी प्रकार के उपाय जैसे कि शेड, भोजन, पानी और पशु चिकित्सा सहायता, उपलब्ध करवाना।
 - जानवरों के दर्द को कम करने के लिए बूचड़खाने को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाना कि अवांछनीय जानवर कम दर्दनाक तरीके का उपयोग करके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनष्ट किए जाते हैं।
 - आश्रय गृह, अस्पताल और चिकित्सा जैसी सुविधाएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान को प्रोत्साहित करना और किसी भी स्थानीय पशु संगठनों को वित्तीय सहायता देना।
 - पशु की मानव प्रकृति से संबंधित शिक्षा देना और पशु कल्याण को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण:

- इसे **जैव विविधता अधिनियम 2002** के तहत **2003** में बनाया गया था।
- यह सरकार के अधीन संरक्षण, संसाधनों के सतत उपयोग और संसाधनों के बंटवारे हेतु परामर्शी और नियामक कार्यों के लिए **स्वायत्त और वैधानिक** निकाय है।
- कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
 - जैविक संसाधनों या भारत से प्राप्त ज्ञान में अनुसंधान में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए पूर्व स्वीकृति।
 - ज्ञान के पंजीकरण के माध्यम से स्थानीय लोगों के ज्ञान का संरक्षण।
 - यह केंद्र सरकार को संरक्षण और लाभ के स्थायी और समान उपयोग से संबंधित परामर्श देता है।
 - राज्य सरकार को उन क्षेत्रों को विरासत स्थलों के रूप में चुनने की सलाह देता है जो जैविक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
 - अनुमति के बिना, कोई भी जैविक संसाधनों से संबंधित ज्ञान और/ या अनुदान हस्तांतरित नहीं कर सकता है। एनबीए हस्तांतरण के लिए स्वीकृति देता है।

ध्यान देने योग्य: राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समिति के रूप में काम करता है। यह जैविक प्रबंधन और पर्यावरण से लाभों के सही उपयोग पर सलाह देता है और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन** तस्करी और अवैध शिकार जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है।
- इसके कुछ कार्य इस प्रकार हैं:
 - गुप्त सूचना का संग्रह और वन्यजीव अपराध संबंधी केंद्रीकृत डेटा बैंक की स्थापना।
 - विभिन्न प्रोटोकॉल और सम्मेलनों के अधीन दायित्वों और अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन।
 - अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तहत विदेशों में विभिन्न प्राधिकरणों को सहायता।
 - बुनियादी ढांचे का विकास और वैज्ञानिक तथा पेशेवर जांच का गठन करना।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1991** में संशोधन द्वारा चिड़ियाघर के लिए एक नया खंड जोड़कर और केंद्र सरकार द्वारा एक प्राधिकरण का गठन किया गया।
- अधिनियम में प्राधिकरण के कार्य निम्नलिखित हैं:
 - चिड़ियाघरों के लिए न्यूनतम मानक तय करना और जानवरों की देखभाल के लिए सभी सेवाओं को सुनिश्चित करना।
 - बेहतर सुरक्षा हेतु लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना। प्रजनन उद्देश्यों के लिए जानवरों का आदान-प्रदान और उधार लेना।
 - चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन और अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का समन्वय करना और विभिन्न प्रजातियों के बारे में समुचित डेटा को बनाए रखना।

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट:

- यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक गैर-लाभकारी सरकारी संगठन है जो विभिन्न समुदायों की मदद से प्रकृति, विशेषतः गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और संकटग्रस्त प्रकृतिक वासों का संरक्षण करता है।
- वन्यजीवों की रोकथाम और पुनर्वास के लिए कई परियोजनाओं पर स्थानीय समुदायों और सरकार के माध्यम से कार्य करना।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण:

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत 2009 में बनाया गया। यह केंद्र और राज्य दोनों के योजना, समन्वय और वित्तपोषण हेतु एक निकाय है।
- मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - गंगा नदी का संरक्षण और में प्रदूषण कमी तथा व्यापक योजना और प्रबंधन का उपयोग करना।
 - नदी बेसिन का विकास प्रबंधन के लिए मुख्य दृष्टिकोण है। सभी गतिविधियां और उपाय प्रदूषण को कम करने और नदी पारिस्थितिकी के लिए प्रयोजित हैं।
 - न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रवाह का प्रबंधन। सीवरेज, जलग्रहण क्षेत्र और बाढ़ से सुरक्षा जैसे बुनियादी ढांचा।
 - पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जांच और अनुसंधान परियोजना और जल संरक्षण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।
 - सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा करना।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना की गई है **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974**।
- यह पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।
- यह तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके बीच विवादों का समाधान करता है।
- कुछ कार्य इस प्रकार हैं:
 - जल और वायु प्रदूषण में प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को परामर्श देता है, और इसकी रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाता और क्रियान्वित करता है।
 - जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका आयोजन करना।
 - कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा एकत्रित करना। मैनुअल और दिशानिर्देश तैयार करना और सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण:

- भारत के प्रधान मंत्री प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व द्वारा टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर।
- बाघ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में राज्य और केंद्र सरकार की मदद करना।
- कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
 - राज्य सरकार द्वारा तैयार संरक्षण योजना को मंजूरी देना। प्रबंधन दिशा-निर्देश प्रदान करना और मनुष्य और पशुओं के संघर्ष को हल करने के उपाय करना।
 - बाघों की आबादी, प्राकृतिक शिकार, निवास स्थान और बीमारी के प्रकोप और मृत्यु दर सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
 - वन कर्मियों के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम आयोजित करना।

भारतीय वन सर्वेक्षण:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत 1981 में स्थापित किया गया।
- भूमि और वन संसाधनों की स्थिति में बदलाव की निगरानी और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय योजना, संरक्षण, प्रबंधन और वन संसाधनों के संरक्षण के लिए करना।
- मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
 - देश के वन आवरण के आकलन के लिए **द्विवार्षिक वन रिपोर्ट** की स्थिति तैयार करना। वन और गैर-वन क्षेत्रों के लिए एक डेटाबेस विकसित करना।
 - हवाई तस्वीरों का उपयोग करके विषयगत मानचित्र तैयार करना। वन संसाधनों पर स्थानिक डेटाबेस के संग्रह, संकलन और भंडारण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करना।
 - रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आदि जैसी प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढांचे और वन कर्मियों के प्रशिक्षण को मजबूत करना।
 - सर्वेक्षण मानचित्रण और सूची में राज्य के वानिकी विभाग का समर्थन करना।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम** के तहत गठित है। बोर्ड के अध्यक्ष प्रधान मंत्री और उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं।

- कुछ कार्य इस प्रकार हैं:
 - पर्यावरण प्रभाव आकलन परियोजनाओं के साथ संव्यवहार करना।
 - एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैसे क्षेत्रों की स्थापना पर सिफारिश और संरक्षित क्षेत्रों के तहत सभी गतिविधियों को तय करना।
 - वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों को फ्रेम करना तथा अवैध व्यापार और अवैध शिकार को रोकना। टैगर रिजर्व में बदलाव के लिए राज्य को इस निकाय से मंजूरी की आवश्यकता होती है।
 - **भारत में वन्य जीवन की स्थिति** पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करना।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण:

- पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए इसे **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010** के तहत बनाया गया है।
- इसमें न्यायिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञ सदस्यों में से प्रत्येक में 20 सदस्य हो सकते हैं।
- इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्ति है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है।
- एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में की जानी होती है और एनजीटी के तहत आने वाले मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाना होता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग सलाहकार समिति:

- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के अनुसार खतरनाक सूक्ष्मजीवों/ आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम 1989 के अनुसार स्थापित किया गया है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है।
- आनुवंशिक रूप से फसलों को संशोधित करने के लिए दायर मुकदमों को मंजूरी देता है और गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर विनाशकारी सूक्ष्म जीवों और औद्योगिक उत्पादन सहित गतिविधियों का मूल्यांकन करना।